भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2384

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

ईएसआईसी के अंतर्गत नियोक्ताओं और कर्मचारियों का पंजीकरण

2384. डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण हेतु विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है और यदि हां, तो विशेष पंजीकरण हेत उपरोक्त कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी तथा इस संबंध में प्राप्त उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से योजना के कवरेज को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों को कब तक शामिल किया जाएगा; और

(ड.) ईएसआईसी योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र को लाने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति और (या) उनके परिवार को कतिपय अंशदान शर्तों को पूरा करने पर अति विशेष उपचार (एसएसटी) प्राप्त होने के अलावा अस्पताल और औषधालय, क्लीनिक या अन्य संस्थाओं में बाह्य-रोगी और अंत:रोगी उपचार के रूप में चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, रोजगार चोट के कारण नि:शक्त हुए बीमाकृत व्यक्तियों और उसके पति/पत्नी को ईएसआई चिकित्सा संस्थाओं के भीतर प्राथमिक और द्वितीयक देखरेख (एसएसटी के अलावा) के लिए चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराई जाती है।

जारी---2/-

नकद हितलाभ - बीमारी हितलाभ, नि:शक्तता हितलाभ, आश्रितजन हितलाभ, प्रसूति हितलाभ, बेरोजगारी राहत/भत्ता तथा अन्य हितलाभों के रूप में हैं। प्रत्येक नकद हितलाभ की पात्रता शर्तें और राशि अनुबंध में दी गई है।

(ख): जी हाँ, छूट गए/अव्याप्त कर्मचारियों को व्याप्त करने के लिए नियोजकों को एक बार अवसर प्रदान करने हेतु नियोजकों/कर्मचारियों का पंजीकरण प्रोत्साहन की योजना (स्प्री) आरंभ की गई। स्प्री की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

i. अवधि के दौरान पंजीकृत नियोजक पंजीकरण की तिथि से या उनके द्वारा घोषित तिथि से व्याप्त माने जाएंगे।
ii. नए पंजीकृत कर्मचारी उनके पंजीकरण की तिथि से व्याप्त माने जाएंगे।

योजना प्रारंभ में दिनांक 20.12.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए शुरू की गई थी जिसे आगे दिनांक 30.06.2017 तक विस्तार दिया गया।

स्प्री की अवधि के दौरान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों/नियोजकों तथा कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :-

i. क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त इकाइयों/नियोजकों की संख्या - 1,02,013
ii. क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों की संख्या - 1,30,78,766

(ग) और (घ): अधिक-से-अधिक इकाइयों और उनके कर्मचारियों को ईएसआई स्कीम के छत्र में लाने के लिए समय-समय पर आवधिक सर्वेक्षण कराए जाते हैं। सर्वेक्षण कार्यक्रम 01.07.2019 से तीन महीने की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि क. रा. बी. अधिनियम का विस्तार वर्ष 2022 तक देश के 722 जिलों तक किया जाएगा।

(ङ): क.रा.बी. अधिनियम, 1948 कार्यान्वित क्षेत्रों में स्थित 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले सभी कारखानों और अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर लागू है तथा 21,000/- रुपये प्रतिमाह (नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक वेतन आहरण करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। वस्तुत: यह असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं है। वर्तमान में, असंगठित क्षेत्र तक व्याप्ति को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

* *******

अनुबंध

ईएसआईसी के अंतर्गत नियोजकों और कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री गिरीश भालचन्द्र बापट और श्री कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2384 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण

हितलाभ और अंशदायी शर्तें

क्र.सं.	हितलाभ(भों) का नाम	अंशदायी शर्तें	हितलाभ की अवधि	हितलाभ की राशि
(i) (क)	बीमारी हितलाभ	संगत अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों के अंशदान का भुगतान पर	किन्हीं दो लगातार हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक	(औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत)
(ख)	विस्तारित बीमारी हितलाभ (विनिर्दिष्ट 34 दीर्घ अवधि बीमारियां)	दो वर्ष की अवधि तक लगातार रोजगार और 4 लगातार अंशदान अवधि में 156 दिन का अंशदान।	दो वर्ष (अधिकतम)	औसत दैनिक मजदूरी का 80 प्रतिशत
(ग)	वर्धित बीमारी हितलाभ (परिवार कल्याण हेतु नसबंदी ऑपरेशन)	बीमारी हितलाभ के समान	पुरुष नसबंदी हेतु 7 दिन तथा महिला नलीबंदी हेतु 14 दिन; ऑपरेशन पश्चात् समस्या होने पर वर्धन योग्य	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत
(ii)	नि:शक्तता हितलाभ (रोजगार चोट)	नि:शक्तता हितलाभ के अंतर्गत दो प्रकार के हितलाभ आते हैं जो निम्नानुसार हैं :-		
(क)	अस्थायी नि:शक्तता हितलाभ	रोजगार चोट के दिन वह एक कर्मचारी होना चाहिए।	जब तक अक्षमता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत

(ख)	स्थायी नि:शक्तता हितलाभ	-वही-	जीवनपर्यन्त	श्रमिकों की अर्जन क्षमता की हानि पर निर्भर करता है जिसे एक चिकित्सा बोर्ड निर्धारित करता है।
(iii)	आश्रितजन हितलाभ (नियम 58)	घातक दुर्घटना के दिन मृतक एक कर्मचारी होना चाहिए।	1. विधवा/विधवाओं को जीवनपर्यन्त अथवा पुनर्विवाह तक। 2. विधवा माता को जीवनपर्यन्त। 3. वैध अथवा दत्तक पुत्र को 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक। 4. वैध अथवा दत्तक पुत्री को उसके विवाह होने तक। 5. 25 वर्ष के नि:शक्त वैध अथवा दत्तक पुत्र या पुत्री को नि:शक्तता रहने तक, जो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उस पर पूरी तरह से आश्रित हों। 6. अन्य आश्रितजनों को जीवनपर्यन्त अथवा उसके विवाह तक या 18 वर्ष की आयु तक, जैसा मामला हो।	औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत को निर्धारित अनुपात में आश्रितों के मध्य विभाजित करना है।
(iv)	मातृत्व हितलाभ	पूर्ववर्ती दो लगातार अंशदान अवधियों में 70 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान।	क.रा.बी. (केंद्रीय) नियमावली 1950 में संशोधन के अनुसार बीमाकृत महिला 26	

			सप्ताह के लिए मातृत्व हितलाभ हेतु पात्र होगी जिसके तहत यह प्रसूति की संभावित तारीख से 8 सप्ताह से पूर्व नहीं दी जा सकती। एक कमिशनिंग माता जो एक जैविक (बायलोजिकल) माता की तरह बच्चा चाहती है और दूसरी महिला के भीतर भ्रूण प्रत्यारोपित करवाना चाहती है और (ii) वह महिला जो तीन माह के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है, वह भी 12 सप्ताह के लिए मातृत्व हितलाभ हेतु पात्र है। गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह और गर्भावस्था, कालपूर्व जन्म (प्रीमेच्योर बर्थ) या गर्भपात से हुई बीमारी हेतु अतिरिक्त एक माह। वह बीमाकृत महिला जिसके दो या दो से अधिक जीवित बच्चे हैं, 12 सप्ताह की अवधि हेतु मातृत्व हितलाभ पाने की हकदार होगी जो प्रसूति की संभावित तारीख से 6 सप्ताह से	

			अधिक पहले नहीं दिया जा सकता। ये नियम उन मामलों पर लागू हैं जहां बीमाकृत महिला दिनांक 20.01.17 को या उसके बाद बच्चे को जन्म देती है या उसकी प्रसूति की संभावित तारीख दिनांक 20.01.17 को या उसके बाद है।	
(v)	अंत्येष्टि व्यय	वह मृत्यु की तिथि पर बीमाकृत व्यक्ति रहा हो।		अंत्येष्टि पर वास्तविक व्यय जो 15,000/- रुपये से अधिक न हो।
(vi)	पुनर्वास भत्ता	चिकित्सा हितलाभ हेतु पात्र या यदि रोजगार चोट के कारण नि:शक्तता हुई हो।	प्रत्येक दिन के लिए जब तक बीमाकृत व्यक्ति कृत्रिम अंग को लगवाने/ठीक करवाने या बदलवाने के लिए कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत
(vii)	सेवानिवृत्त/नि:शक्त बीमाकृत व्यक्ति और उसके/उसकी विवाहिती के लिए चिकित्सा हितलाभ	अग्रिम रूप से एक वर्ष के लिए एकमुश्त में प्रतिमाह 10/- रुपये का भुगतान (i) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या बीमायोग्य रोजगार में समयपूर्व सेवानिवृत्ति ली हो,	अवधि जिसके लिए अंशदान का भुगतान किया हो।	पूर्ण चिकित्सा देखभाल

		बीमा योग्य रोजगार में कम से कम पांच वर्षों की सेवा हो। (ii) रोजगार चोट के कारण स्थायी नि:शक्तता होने पर बीमाकृत व्यक्ति द्वारा बीमायोग्य रोजगार छोड़ देने पर। (iii) यह हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति की उस विधवा को भी जो आश्रितजन हितलाभ प्राप्त करती है, नियम 60 के अंतर्गत यथानिर्धारित अंशदान के भुगतान पर उस तिथि तक प्रदान किया जाएगा जब तक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला ने रोजगार छोड़ा होता।	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अवधि जिसके लिए अंशदान का भुगतान किया गया है। बीमाकृत व्यक्ति केवल स्वयं अपनी/अपने विवाहिती के पूर्ण चिकित्सा देखभाल का हकदार होगा।	
(viii)	प्रसूति व्यय	बीमाकृत महिला या व्यक्ति व्यक्ति की पत्नी को, यदि प्रसूति प्रसुविधा क.रा.बी. संस्थाओं में उपलब्ध नहीं हों।	दिनांक 01.10.2013 से प्रभावी, केवल दो प्रसूतियों तक।	प्रति मामले में 5,000/- रुपये।
(ix)	रा.गा.श्र.क.योजना के अंतर्गत कौशल उन्नयन योजना के तहत व्यावसायिक	आयु 45 वर्ष से अधिक न हो और रोजगार चोट के कारण नि:शक्तता 40% से कम न हो।	व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र में प्रशिक्षण के सभी दिन।	प्रतिदिन 123/- रुपये या व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र द्वारा ली जाने वाली राशि जो भी ज्यादा हो।

<table>
<tr><td></td><td>पुनर्वास योजना।</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(x)</td><td>बेरोजगारी भत्ता।</td><td>कारखाना बंद होने, छंटनी या स्थायी नि:शक्तता के कारण जो कि 40% से कम न हो और वह गैर-रोजगार चोट के कारण हो, के फलस्वरूप किसी बीमाकृत व्यक्ति का रोजगार चला जाता है और रोजगार जाने से पूर्व उसके संबंध में उसका दो वर्ष का अंशदान भुगतान किया गया हो/देय हो।</td><td>दिनांक 06.09.2016 से प्रभावी अधिकतम दो वर्ष पूरे जीवनकाल में।</td><td>बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला निम्नलिखित सारणी के अनुसार हितलाभ प्राप्त करेंगे :-<table><tr><td>0-12 माह</td><td>13-24 माह</td></tr><tr><td>अंतिम दैनिक मजदूरी के औसत का 50%</td><td>अंतिम दैनिक मजदूरी के औसत का 25%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>(xi)</td><td>व्यावसायिक पुनर्वास कौशल उन्नयन योजना (राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत)</td><td>बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहा/रही हो।</td><td>दस सप्ताह की अल्प अवधि या उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं से छह माह तक की लंबी अवधि के अन्य पाठ्यक्रम।</td><td>संस्थाओं द्वारा प्रभारित पूर्ण शुल्क का भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा। उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए यात्रा हेतु यथा प्रभारित रेल/बस के किराए की बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला को प्रतिपूर्ति की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>(xii)</td><td>नया हितलाभ (एडीशन)</td><td>वाहन भत्ता</td><td>स्थायी नि:शक्तता हितलाभ लाभार्थियों के संबंध में वाहन भत्ता।</td><td>इस योजना के अंतर्गत वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत रूप से</td></tr>
</table>

				शाखा कार्यालय जाने के लिए स्थायी नि:शक्तता हितलाभ लाभार्थियों को वाहन भत्ते के रूप में 100/- रुपये का भुगतान किया जाता है।
(xii)	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ए.बी.वी.के.वाई.)	'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' द्वारा सहायता, जीवनकाल में एक बार नब्बे (90) दिनों तक के लिए नकद क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है जिसका दावा बेरोजगार हो जाने के तीन माह के पश्चात् एक या एक से अधिक अवधि में किया जाता है। बशर्ते कर्मचारी ने दो वर्ष बीमायोग्य रोजगार में पूर्ण कर लिए हो तथा सहायता/राहत के दावे से तुरंत पूर्ववर्ती प्रत्येक लगातार चार अंशदान अवधियों में अठहत्तर (78) दिनों से कम का अंशदान न दिया हो। राहत प्रतिदिन औसत अर्जन के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक न हो।	जीवनकाल में एक नब्बे (90) दिनों तक के लिए नकद क्षतिपूर्ति, जिसका दावा बेरोजगार हो जाने के तीन माह के पश्चात् एक या अधिक अवधि में किया जाता है।	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत प्रतिदिन राहत की दर चार लगातार तुरंत पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों के दौरान प्रतिदिन औसत अर्जन का 25% है।

*****